"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2009— ज्येष्ठ 8, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लवली देवांगन पिता श्री विनोद कुमार देवांगन, उम्र 24 वर्ष, निवासी न्यू आदर्श नगर, स्टेट बैंक कालोनी, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर ऋषभ देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ऋषभ देवांगन पिता श्री विनोद कुमार देवांगन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
लवली देवांगन
पिता श्री विनोद कुमार देवांगन
निवासी-न्यू आदर्श नगर
स्टेट बैंक कालोनी, दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
ऋषभ देवांगन
पिता श्री विनोद कुमार देवांगन
निवासी-न्यू आदर्श नगर
स्टेट बैंक कालोनी, दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 12 मई 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. न्यास नियम 1962 का नियम (5) देखिए]

क्रमांक /767/प्र -3/लोकन्यास/अविअ/2008.— चूंकि श्री प्रमोद कुमार जैन ने पद्म प्रसाद जाटव देवी जैन चेरिटेबल टस्ट, 41/1, नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-05-2009 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है. अत: मैं, सी. एल. यादव, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-05-2009 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार करने के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	पद्म प्रसाद जाटव देवी जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, 41/1, नेहरूनगर (पूर्व) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	5,00,000/-निवेश राशि एवं 5926/-बैंक बैलेंस की राशि

सी. एल. यादव,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 14 मई 2009

क्रमांक/523/उपंरा/परि./2009.—वस्तुत: मां गायत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र. 449, जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक /174/उपंरा/परि./09, दिनांक 04-4-2009 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा आज दिनांक तक जवाब अप्राप्त है. जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा 2 (एक) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत मां गायत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र. 449 जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के प्रावधानों के अधीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 14-5-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एस. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2008/401.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/775/बिलासपुर दिनांक 5-4-08 के तहत मॉं जगदम्बा सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, गोड़पारा-बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3812 दिनांक 1-11-96 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-04-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/463.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1962/बिलासपुर दिनांक 3-10-2007 के तहत वन्दे मातरम् सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, इमलीपारा-बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3638 दिनांक 18-7-2007 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-5-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/464.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/777/बिलासपुर दिनांक 5-4-2008 के तहत राज श्री प्र. देवकी नंदन दिक्षित उप. सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3671 दिनांक 3-6-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-5-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/465.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1823/बिलासपुर दिनांक 16-9-2008 के तहत महिला खादी ग्रामो उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, गोंड़पारा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 2747 दिनांक 18-10-63 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एल. एल. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-5-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/479.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/753/बिलासपुर दिनांक 13-6-2007 के तहत राजीव सफाई कामगार सहकारी समिति मर्यादित, बापू नगर रेल्वे क्षेत्र बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3907 दिनांक 24-8-98 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-5-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/480.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/649/बिलासपुर दिनांक 29-5-2006 के तहत फल फूल साग सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, जोगीपुर, पंजीयन क्रमांक 116 दिनांक 13-8-2001 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री महेन्द्र बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-5-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.